

28/3/18

प्राथी वहील उपलब्ध। उविप्राथीगण अनुण।
 प्राथी डे अधिवक्ता ही एडप्लीय बयस हुनी
 गइ प्राथी डे अधिवक्ता नै वलाय ही प्राथी
 ही कपने खातेदारी खैली डे चाले मोर पक्के
 नेषम स्थापित इरवाना मावश्यक हे इसलिर प्राथी
 डा नेषमबनी आवेदन स्वीकार किया जाडर नेषमबनी
 मोरेश किया जाके। प्राथी डे अधिवक्ता डे निवेदन पर
 प्राथी डा नेषमबनी आवेदन स्वीकार किया जाडर तहकीकात
 बायड डे इतिहास निमुक्त किया जाला हे व मोरेश
 दिया जाला हे कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ
 गिनी भी भू समिलेय निरिस्तु ले प्राथी डे खातेदारी
 खैली ही पक्के नेषमबनी मोडे पर खुल्लु जमाडाडर
 डेरें पालना रिपोर्ट आलत येने पर शामिल पत्रावली
 हो, पत्रावली फंसल खुमाह हो, दर्ज नम्बर ले
 डम हो, दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर (SDC)
 बायत

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 28/3/18


क्रमांक / वाद / 2018 / 448
राजस्व आवेदन संख्या - 97 / 18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री करनसिंह पुत्र पाबुदानसिंह वगैरा 9 जाति राजपूत निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर		1. श्री नगसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 19 निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश


मौजा खंवालीसरा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 464/35 रकबा 94.02 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


सहायक बायतु (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 28/3/18

क्रमांक / वाद / 2018 / 449 to 453
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री करनसिंह पुत्र पाबुदानसिंह वगैरा 9।
4. विप्रार्थीगण श्री नगसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 19।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।




उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक बायतु (SDO)
बायतु